रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937
No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

का.आ. 648(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 का कतिपय संशोधन करने के लिए प्रारुप अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन, का.आ. संख्यांक 2773 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2015 द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी;

और उपरोक्त उल्लिखित प्रारुप अधिसूचना की प्रतिक्रिया में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

पर्यावरण, समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में पैरा 12 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"13. पर्यावरण समाघात निर्धारण (ई आई ए) रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंध योजना (ई एम पी) को तैयार करना और प्रस्तुति.- पर्यावरण परामर्शी संगठनों जो परियोजना के विशिष्ट सेक्टर और प्रवर्ग के लिए प्रत्यायोजित किए गए हैं, को उस सेक्टर के लिए भारतीय क्वालिटी परिषद (क्यूसीआई), शिक्षा के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी ई टी) और कोई अन्य अभिकरण जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए के साथ उस सेक्टर और प्रवर्ग की परियोजना की पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने के लिए और संबंद्ध विशेषज्ञ अंकन समिति (ईएसी) का राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (एस ई ए सी) के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया

जाएगा । मंत्रालय पर्यावरण परामर्शी संगठनों के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं का एक पैनल भी तैयार करेगा"।

[फा. सं. जे-11011/77/2008-आईए-II(1)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अनुसार संशोधित की गई :

1. का.आ. 1737(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012
5. का.आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014
10. का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014
11. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014
12. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014
13. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014
14. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015
15. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015
16. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015
17. का.आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015
18. का.आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2016

S.O. 648(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, was published under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide number S.O.2773 (E), dated the 7th October, 2015, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the Environment Impact Assessment notification, 2006, after paragraph 12, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"13. Preparation and presentation of Environment Impact Assessment (EIA) report and Environment Management Plan (EMP).- The Environmental consultant organisations which are accredited for a particular sector and the category of project for that sector with the Quality Council of India (QCI) or National Accreditation Board for Education and Training (NABET) or any other agency as may be notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time shall be allowed to prepare the Environmental Impact Assessment report and Environmental Management Plan of a project in that sector and category and to appear before the concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or the State Expert Appraisal Committee (SEAC). The Ministry will also prepare a panel of national level reputed educational and research institutions to work as Environmental Consultant Organisations".

[F. No. J-11011/77/2008-IA-II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification No. S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E), dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E), dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E), dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E), dated the 28th February, 2014
10. S.O.1599(E), dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E), dated 7th October, 2014
12. S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014
13. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
14. S.O. 382 (E), dated 3rd February, 2015
15. S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015
16. S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015
17. S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015
18. S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015.

IndiaCode

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.